न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:–12 / 2022
जी.सी.एम.एस .संख्या:– 2022 / 15 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. श्रीफल
2. कालूराम
3. जगराम
4. महेश

} पिसरान प्रभुलाल मीना

5. सुन्दर देवी पत्नी स्व प्रभुलाल मीना जातियान मीना निवासीयान ग्राम मेहन्दीपुर बोडा का बास तहसील टोडाभीम जिला करौली।

.....अपीलांटस्।

बनाम

1. रामसिंह पुत्र रामकिशन जाति मीना निवासी मेहनदीपुर, बोडी का बास, तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली।

..रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:–

1. श्री रविशंकर सैनी अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 01।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

अपील संख्या:–21 / 2020 (225 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्या:– 2020 / 00027

उनवान

1. श्रीफल
2. कालूराम
3. जगराम
4. महेश

} पिसरान प्रभुदयाल मीना

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

5. सुन्दर देवी पत्नी स्व प्रभुदयाल मीना जातियान मीना निवासीयान ग्राम मेहन्दीपुर बोडी का बास तहसील टोडाभीम जिला करौली।

....अपीलांटगण।

बनाम

1. रामसिंह पुत्र रामकिशन जाति मीना निवासी मेहन्दीपुर, बोडी का बास, तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. सब रजिस्ट्रार साहब टोडाभीम जिला करौली

....रेस्पोडेन्टगण।

उपस्थित:–

1. श्री रविशंकर सैनी अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 01।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित।

--:: निर्णय ::--

दिनांक:13.02.2023

1. यह दोनो अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड टोडाभीम जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 11/2012 बउनवान रामसिंह बनाम प्रभु वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर तथा राजस्व प्रार्थना पत्र 10/2019 बउनवान श्रीफल वगैरह बनाम रामसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2020 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. अपील संख्या 21/2020 के प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रार्थना पत्र मातहत अदालत उपखण्ड टोडाभीम के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम मेहन्दीपुर की आराजी ख0नं0 117 रकबा 0.12 है0 पूर्व में प्रभू पुत्र धनपाल एवं रामसिंह पुत्र रामकिशन की संयुक्त खातेदारी में था, न्यायालय श्रीमान के आदेश से ख010 117 दो भागो मे ख0न0 117 रकवा 0.0[illegible] 687/117 [illegible] 0.066 है0 में विभाजित कर बटवारा कर दिया। जिसके अनुसार ख0न0 [illegible] रामसिंह पुत्र रामकिशन व 687/117 प्रभू पुत्र धनपाल को खातेदार [illegible] 687/117 में बने वादी के पक्के आवास तथा के[illegible] लिये तथा ख0न0 121 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

687/117 को टेक्टर व वाहन ले जाने के लिये रास्ता ख0नं0 122/482 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर में है वह ख0नं0 121 रकबा 0.56 है0 में होकर आता है जिसकी चौड़ाई करीबन 15 फिट है लम्बाई 40 मीटर है जो मुख्य रास्ते ख0नं0 122/482 से ख0नं0 117 व 687/117 तक है आने जाने के लिये मुख्य रास्ता ख0नं0 122 रकबा 0.56 है0 में बना हुआ है जिसे वर्तमान में प्रार्थीगण आने जाने के लिए इस्तेमाल करते है। जिसे अप्रार्थी सं0 01 कभी भी बंद कर देता है। अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में चाहे गए अनुतोषानुसार रास्ता प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई। मातहत अदालत ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.20 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील संख्या 12/2022 के प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र मातहत अदालत उपखंण्ड अधिकारी टोडाभीम के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 विवादित आराजीयात के संयुक्त खातेदार काश्तकार है लेकिन वर्तमान में संयुक्त खातेदारी में रहकर काश्त करना संभव नही रहा है। अतः आराजी खसरा नंबर 72, 73, 95, 96, 97, 98, 100, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/482, 124 कुल किता 17 कुल रकबा 3.72 हैक्टयर ग्राम मेहन्दीपुर पटवार हल्का सांकरवाडा तहसील टोडाभीम में वादी बहिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी नंबर 01 बहिस्सा 1/2 के अलग अलग खातेदारी कायम की जावे तथा कमिश्नर रिपोर्ट तलब फरमाई जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से की आराजीयात के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई मजाहमत न करे। मातहत अदालत ने दिनांक 30.03.15 को निर्णय पारित करते हुए वादी का दावा स्वीकार करते हुए कमीश्नर नियुक्त कर वादी व प्रतिवादी नंबर 01 के मध्य बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कराने के आदेश दिए। उक्त निर्णय से संतुष्ट न होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

4. अपील संख्या 21/2020 में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण की भूमि खसरा नंबर 687/117 में स्थित मकान एवं मवेशियों के बाड़े में आने जाने के लिए सामलाती भूमि खसरा नम्बर 123/482 से लेकर खसरा नंबर 121 में से रास्ता जा रहा है इसके अलावा वादीगण के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं। खसरा नंबर 121 पहले अपीलार्थीगण एव रेस्पोंडेन्ट के पिता जी की सहखातेदारी की भूमि थी। जिसका मातहत अदालत से तकासमा हो गया था लेकिन तकासमा होने के बाद से ही रेस्पोंडेन्ट रास्ते में मजाहमत करने [illegible] खसरा नंबर 96, 97, 98, 99 में होकर रास्ते का विकल्प बताते हुए [illegible] खारिज कर दिया जबकि ऐसा कोई रास्ता मौजूद नही है। [illegible] अनुसार उक्त खसरा नंबरो से होकर रास्ता बनाया जाता है तो वह [illegible] सुविधाजनक मार्ग नही होगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

क्युकि उसके बीच मे पाइप एवं पानी के कुण्डे बने हुए है। अपीलांटस् द्वारा पूर्व समय से ही खसरा नंबर 123/482 गैरमुमकिन रास्ता से खसरा नंबर 121 में होते हुए जा रहे रास्ते से ही आ जा रहे है जिसका उल्लेख तहसीलदार द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में भी किया गया है। लेकिन मातहत अदालत द्वारा इस तथ्य पर बिना गौर फरमाये ही निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत के निर्णय दिनांक 12.02.20 को अपास्त किया जावें।

5. अपील संख्या 12/2022 में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय अपीलार्थी की अनुपस्थिति में, बिना कोई सूचना दिये एवं बिना अपीलांट की सुनवाई किये ही बिना नोटिस जारी किये ही एक पक्षीय कार्यवाही करके पारित किया है। मातहत अदालत द्वारा प्राथमिक डिक्री में बंटवारा स्कीम के लिए तहसीलदार टोडाभीम को कमिश्नर नियुक्त किया था। लेकिन तहसीलदार महोदय बंटवारा स्कीम के लिए मौके पर नही गये और गिरदावर एवं हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगाकर गलत रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी। अपीलार्थीगण के स्वर्गीय पिताजी अनपढ होने के कारण उनकी बिना बंटवारा स्कीम समझाये ही उनकी अंगूठा करा लिया। मातहत अदालत द्वारा किया गया तकासमा विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 22.12.15 अपास्त फरमाया जावें। अपील के साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

6. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

7. प्रार्थना पत्र 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दो वर्ष से कोरोना महामारी प्रकोप चल रहा था इसलिये अपीलार्थीगण को अधिनस्थ के निर्णय व डिक्री जानकारी नही हो पायी। अपीलार्थीगण को मातहत अदालत के निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 30.12.2021 को हुई उसी दिना अपीलार्थीगण ने निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की लेकिन उसके बाद से ही कोरोना महामारी की तीसरी लहर का प्रकोप होने के कारण अपीलार्थी अपील पेश करने नही जा सके थे। अतः अपील पेश करने मे हुई देरी को न्यायहित में कण्डोन किया जाना अति आवश्यक है।

8. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील संख्या 12/2022 में प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ [illegible] प्रार्थना पत्र के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने दृष्टांत आर.आर.डी. 2017 [illegible] 381 पेश किया।

9. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद [illegible] के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई [illegible] है। अपीलांट ने अपील पेश करने में देरी कारण का मात्र वर्ष 2020 व 2021 में कोरोना महामारी होना दर्शाया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जबकि इससे पूर्व वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2020 तक का कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

10. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त पूर्ण रूप से चस्पा होता है।

11. अपील संख्या 12/2022 की मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि का गलत तकासमा किया है क्योंकि मातहत अदालत ने खसरा नंबर 121 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट के हिस्से में नाम दर्ज करने का आदेश किया है जबकि इस भूमि मे होकर अपीलार्थीगण के मकान जो खसरा नंबर 117 में बने हुए है पर जाने का 60 साल पुराना रास्ता है। रेस्पोडेन्ट निर्णय पारित होने के बाद से बंद करने पर आमदा है तथा इसका भी वाद चल रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम का निर्णय दिनांक 22.12.2015 अपास्त किया जावें।

12. जवाब बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम द्वारा पारित निर्णय पुर्णतया विधिक है! मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिवत तकासमा उभयपक्षों के मध्य किया गया है। अपील करने का एक मात्र उद्देश्य रेस्पोडेन्ट को परेशान करना है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाइ जावें।

13. अपील संख्या 21/2020 की मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण विवादित रास्ते में होकर लगभग 60 वर्षो से मकान व भूमि तथा बाडे पर आ जा रहे है। इसलिये प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण इस भूमि पर आने जाने का सुखाधिकार प्राप्त हो गया है। इसलिये अपीलार्थीगण विवादित भूमि खसरा नंबर ... पर अपने मकान एवं बाडे पर आने जाने के लिये 15 फिट चौड़ा रास्ता ... अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम का निर्णय दिनांक 12.02.20 अपास्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

14. अपील संख्या 21/2020 के जवाब बहस में अभिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि खसरा नंबर 121 रकबा 56 एयर में किसी प्रकार का कोई रास्ता दर्ज नहीं है ना ही मौके पर है। अपीलांटस् द्वारा प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 687/117 में जाने के लिए खसरा नंबर 97, 96, 99 जो अपीलांटस् के नाम खातेदारी दर्ज है में होकर ही आते जाते हैं। अपीलांटस् के स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 96, 97, 99 में होकर स्वयं की भूमि खसरा नंबर 687/117 व खसरा नंबर 118, 119 में आ जा सकते हैं और भूमि में होकर स्वयं का रास्ता बना सकते हैं लेकिन अपीलांटस् विधि विरूद्ध गलत तरीके से अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 121 में होकर कब्जा कर रास्ता निकालने पर आमदा हैं। उक्त दोनो अपीलो (अपील संख्या 12/2022 तथा 21/2020) को स्वीकार किए जाने कोई औचित्य नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

15. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

16. रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2066–67 वाके ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम के खसरा नंबर 72, 73, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/482, 124 कुल किता 17 कुल क्षेत्रफल 3.72 हैक्टेयर प्रभु पुत्र धनपाल हिस्सा 1/2, रामसिंह पुत्र रामकिशन हिस्सा 1/2, कौम मीना खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सहखातेदार है। अदालत मताहतकी प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.03.15 में आदेश दिए कि संयुक्त खातेदारी की आराजी को "मीटस् एण्ड बाउण्ड" के आधार पर बंटवारा स्कीम मय नम्बर ट्रेस भिजवाये। संयुक्त खातेदारी के विभाजन के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53 को प्रकिया के लिए राजस्थान काश्तकारी नियम (बोर्ड) 18–21 की पालना का आवश्यक प्रावधान है।

परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन प्रावधानों की पालना निम्नानुसार नही की गई–

(1) बंटवारा स्कीम तैयार करते स्वयं तहसीलदार मौके पर न जाकर केवल भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी मौका द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्तुत कर " प्रति हस्ताक्षर सी.एस." किए गए है। यह आवश्यक प्रावधान के विरूद्व है।

(2) बंटवारा स्कीम तैयार करने से पूर्व तहसीलदार/मौका कमिश्नर द्वारा पक्षकारों को मौके पर उपस्थिति के नोटिस व उनकी तामिल भी नही करवाई गई है। ऐसा कोई दस्तावेज अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न नही है।

(3) अदालत मातहत के प्राथमिक डिक्री [illegible] मय नक्शा ट्रेस को प्रतियों में भिजवाया जाने की पालना नही की गई [illegible] केवल खसरा नंबर 72 का नक्शा ट्रेस सलंग्न पत्रावली है।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

[illegible] बनाम [illegible]
अपील संख्या 12/2022
अपील संख्या 21/2020

राजस्थान काश्तकार [illegible] विभाजन करते समय राजस्व नियम के प्रावधानानुसार संयुक्त खातेदार के [illegible] खसरा सम्मिलित हो "खाते" का [illegible] और उसे संयुक्त खातेदार ने [illegible] नहीं की गई।

17. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील संख्या 12/2022 [illegible] योग्य पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाकर अदालत मातहत [illegible] टोडाभीम के अन्तिम निर्णय व डिक्री मुकदमा नंबर 11/2012 दिनांक 22.12.16 [illegible] किया जाता है। अदालत मातहत के डिक्री दिनांक 22.12.16 की पालना में [illegible] रिमाण्ड में अमलदरामद हो गया तो उसको [illegible] करने के आदेश दिए जाते हैं। रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा भी पाबन्द किया जाता है कि [illegible] द्वारा जब तक अन्तिम डिक्री पारित नहीं की जावे तब तक अपीलांट को [illegible] खसरा नंबर 121 में से दीवार के सहारे सहारे खसरा नंबर 117 में [illegible] तो किसी प्रकार की मजाहमत व दखलदाजी स्वयं करे न दीगर से करावे। [illegible] इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते तथा अन्तिम डिक्री पारित करने के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी नियम (बोर्ड) 18-21 की विधिवत पालना करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 13.03.2023 को सुनवाई हेतु अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित हो।

18. अपील संख्या 21/2020 पर अब कोई आदेश पारित किया जाना विधिसंगत नहीं है क्योंकि अपील संख्या 12/2022 निर्णय दिनांक 13.02.2023 में पैरा नंबर 16 के अनुसार निर्णित किए जाने से विभाजित जोतों की शून्यता घोषित किए जाने के कारण विवादित आराजीयात का संयुक्त खातेदारी में हो जाने से अपीलांट/प्रार्थी का अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) प्रकरण संख्या 10/19 प्रारम्भ से शून्य हो जाने के कारण, उसके फलस्वरूप उस पर दिए गए आदेश भी स्वतः ही शून्य हो जाने से, अपील को शून्य घोषित कर बिना गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है।

19. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 13.02.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner